रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092025-265888
CG-DL-W-02092025-265888

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, अगस्त 10—अगस्त 16, 2025, शनिवार/ श्रावण 19—श्रावण 25, 1947
No. 28] NEW DELHI, AUGUST 10— AUGUST 16, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 19— SHRAVANA 25, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 मई, 2025

सा.का.नि. 128.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स (समूह 'ग' के योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से है, और असम राइफल्स (समूह 'ख' योधक पद) भर्ती नियम, 2001 को जहां तक उनका संबंध सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) के पद से हैं, उन बातो के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, असम राइफल्स में सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, असम राइफल्स, सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ), सूबेदार (भेषजज्ञ) और नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) समूह 'ख' पद, भर्ती नियम 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. **लागू होना.**– ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) मे यथाविनिर्दिश्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे सलंग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगे, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिश्ट है।

5. **निरर्हता.**– वह व्यक्ति, –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **अधिवर्षिता.**– (1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस मास की अंतिम तारीख को जिसमे वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है के अपरान्ह या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर यथाविहित, सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु वह व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख किसी मास के पहले दिन को है, वह उस मास के से पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन को सेवानिवृत्त होगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को उपनियम (1) में यथाविनिर्दिश्ट अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विहित आयु से परे सेवा में विस्तार की अवधी अनुदत्त नही की जाएगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**– जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध मे से किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृति.**– इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे वेतन स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सूबेदार मेजर (भेषजज्ञ)।	02*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अनुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर–8, (47,600–1,51,100)।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती के किए जाने व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	पुनर्नियुक्ति अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति – भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
(अ) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा; (ब) 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियुक्ति द्वारा (सशस्त्र बलों के कार्मिको हेतु)	**प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति द्वारा** केन्दीय सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी, क. (i) जिन्होंने विभाग के मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो, या (ii) जिन्होंन मूल संवर्ग या विभाग मे वेतन मैट्रिक्स मे स्तर 7 (44,900–1,42,400) या समतुल्य मे नियुक्त के पश्चात् नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की हो; ख. जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हकता और अनुभव रखते हों, (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी मे स्नातक डिग्री। (ii) सुसंगत क्षेत्र मे दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण1**: विभागीय सूबेदार (भेषजज्ञ) जिन्होनें वेतन मैट्रिक्स के स्तर–7(44,900–1,42,400) में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव रखते हों, बाहरी व्यक्तियो के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है, तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा और जिनकी चिकित्सा श्रेणी शेष–1 होगी और बल द्वारा समय–समय पर यथाविहित प्रोन्नति पूर्व न्यूनतम दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। **टिप्पण2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी। **भूतपूर्व सैनिक/पुनर्नियोजनः**– सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या आरक्षित में स्थानातरित होने वाले और जिनके पास प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं, के नाम पर भी प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। यदि चयनित हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को उस तारिख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस पर उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है उसके पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जाए। ये अभ्यर्थी चिकित्सा प्रवर्ग-**I** में होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।
(12)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होगेः– 1. ब्रिगेडियर (कार्मिक), असम राइफल्स – अध्यक्ष; 2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स – सदस्य; 3. स्टाफ ऑफिसर– (चिकित्सा/स्वास्थ्य), असम राइफल्स जिनका रैंक कमाण्डेंट या लेफ्टिनेंट कर्नल का हो – सदस्य; 4. स्टाफ ऑफिसर–1 (प्रशासन), असम राइफल्स – सदस्य; 5. डिप्टी कमांडेंट या मेजर पद का एक अधिकारी – सदस्य।
भर्ती करने मे किन परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(13)
लागू नही होता।

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
सूबेदार (भेषजज्ञ)।	01*(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय, अराजपत्रित।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–7, (44,900–1,42,400)।	चयन।

(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	**(11)**
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा** : असम राइफल्स के नायब सूबेदार (भेषजज्ञ) में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर–6 (35400–112400) मे श्रेणी मे नियमित पांच वर्षो की सेवा की हो। चिकित्सा प्रवर्ग शेप–1 हो, और असम राइफल्स द्वारा यथाविहित प्रोन्नति पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या

	दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन राज्य के अधिकारी क. (i) जिन्होने विभाग के मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो। (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग मे वेतन मैट्रिक्स मे स्तर 6 (35,400–1,12,400) या समतुल्य मे पद पर नियुक्ति के पष्चात् पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो। ख. जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो, (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी मे स्नातक डिग्री। (ii) सुसंगत क्षेत्र मे दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1**: पोषक प्रवर्ग के विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति मे है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नही होगें, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किए जाने के पात्र नही होंगे। **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्रय पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी। **टिप्पण 3**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नही होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होगेः–

1. अपर महानिदेशक असम राइफल्स – अध्यक्ष;
2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स – सदस्य;
3. कर्नल चिकित्सा, असम राइफल्स – सदस्य;
4. स्टाफ ऑफिसर–1 (चिकित्सा), असम राइफल्स – सदस्य;
5. मेजर/डिप्टी कमांडेंट स्तर का एक अधिकारी – सदस्य

(13)

लागू नही होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नायब सूबेदार (भेषजज्ञ)।	02*(2025) *कार्यभार के	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अननुसचिवीय,	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–6, (35,400–1,12,400)	चयन।

	आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	अराजपत्रित		

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नतिः** असम राइफल्स के सदस्यों मे से वारंट अफसर (भेषजज्ञ) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5 (29,200–92,300) मे श्रेणी मे छः वर्ष नियमित सेवा की हो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–1 होनी चाहिए और बल द्वारा समय–समय पर विहित या प्रोन्नति पूर्व न्यूनतम दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हित हो। **टिप्पण**: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होगेः–

1. अपर महानिदेशक असम राइफल्स – अध्यक्ष;
2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स – सदस्य;
3. लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का स्टाफ ऑफिसर–1 (पशासन), असम राइफल्स – सदस्य;
4. चिकित्सा से कमाण्डेंट/सेकेण्ड–इन–कमाण्ड पद का एक अधिकारी – सदस्य;
5. असम राइफल्स के ऐसे दो अधिकारी जिनका पद सूबेदार, (स्तर–7) रैंक से कम न हो, जिनमे एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति का हो। – सदस्य।

समूह 'ख' विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होगेंः–

1. ब्रिगेडियर (कार्मिक), असम राइफल्स – अध्यक्ष;
2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स – सदस्य;
3. लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का स्टाफ ऑफिसर–1 (प्रशासन), असम राइफल्स – सदस्य;
4. चिकित्सा से कमाण्डेंट/सेकेण्ड–इन–कमाण्ड पद का एक अधिकारी – सदस्य;

5.	असम राइफल्स के ऐसे दो अधिकारी जिनका पद सूबेदार, स्तर–7 (44900–142400) रैंक से कम न हो, जिनमे एक अनुसूचित जाति और दूसरा अनुसूचित जनजाति का हो।	– सदस्य।
	(13)	
	लागू नही होता।	

[फा. सं. ए/पर्स/आरआरएस/समूह 'ख'/फार्मा/2017]

आर जोसेस वशुम, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th May, 2025

G.S.R. 128.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act 2006 (47 of 2006) and in supersession of the Assam Rifles (Group 'C' combatised posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Naib Subedar (Pharmacist); and the Assam Rifles (Group 'B' combatised posts) Recruitment Rules, 2001, in so far as they related to the post of Subedar Major (Pharmacist), Subedar (Pharmacist), except as respects to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Subedar Major (Pharmacist), Subedar (Pharmacist) and Naib Subedar (Pharmacist), in the Assam Rifles in the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Assam Rifles, Subedar Major (Pharmacist), Subedar (Pharmacist) and Naib Subedar (Pharmacist), Group 'B' Posts, Recruitment Rules 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.–** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Scheduled annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.–** The number of the said posts, their classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.–** No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Superannuation.–** (1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month, shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation as specified in sub-rule (1).

7. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1. Subedar Major (Pharmacist).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘B’ Non - Gazetted Non - Ministerial	Level - 8 in the pay matrix (47600-151100).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years for re-employed.	(i) Fifty per cent. by deputation or promotion; and (ii) Fifty per cent. by deputation or re-employment (For Armed Forces personnel).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.

(11)

By deputation or promotion:

Officer of the Central Government or State Governments, -

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department: or
(ii) with two years’ service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department: and
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely: -
(i) Bachelor degree in Pharmacy from a recognised university and recognised institute;
(ii) two years’ experience in relevant field.

Note 1.- The departmental Subedar (Pharmacist) in level-7 in the pay matrix (44900-142400) with two years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered alongwith outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion and medical category shall be SHAPE-1 and qualified in mandatory pre promotion training of minimum two to four weeks or as prescribed by the Force from time to time.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed not exceed three years.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Ex-servicemen :Re-employment:

The armed Force Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists, shall also be considered for deputation, If selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter, they may be continued on re-employment terms. The candidate shall be in medical category SHAPE-1.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1. Brigadier Personnel Assam Rifles - Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles - Member; 3. Staff Officer (Medical or Health) Assam Rifles of the rank of Commandant or Lieutenant Colonel - Member; 4. Staff Officer -1(Administration) Assam Rifles - Member; 5. One officer of the rank of Deputy Commandant or Major – Member;	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Subedar (Pharmacist).	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non – Gazetted, Non- Ministerial	Level - 7 in the pay matrix. (44900-142400)	Selection.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By Promotion falling which by deputation.

(11)

Promotion:
From amongst Naib Subedar (Pharmacist) of the Assam Rifles in level- 6 in the pay matrix (35400-112400) with five years regular service in the grade, medical category SHAPE-1, and who successfully pre-promotional course or courses as prescribed by the Assam Rifles time to time.

Note:- Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation:

Officer of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,-

(a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department: or
(ii) with five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department: and
(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely :-
(i) Bachelor degree in Pharmacy from a recognised university and recognised institute; and
(ii) two years' experience in relevant field.

Note 1.- The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same of some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Additional Director General, Assam Rifles - Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles - Member; 3. Colonel Medical, Assam Rifles - Member; 4. Staff Officer -1 (Medical) Assam Rifles - Member; 5. One officer of the rank of Major or Deputy Commandant – Member;	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Naib Subedar (Pharmacist).	02* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non– Gazetted, Non– Ministerial.	Level - 6 in the pay matrix (35400-112400)	Selection	Not applicable.

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years	By Promotion

(11)
Promotion: From amongst members of Assam Rifles holding the rank of Warrant Officer (Pharmacist) in pay level -5 in the pay matrix (Rs.29200-92300), with six years' regular service in the grade medical category must be SHAPE-1 and must qualified mandatory pre promotional training of minimum of two to four weeks or as prescribed by the Force from time to time. **Note**:- Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Director General, Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles - Member; 3. Staff Officer -1(Administration) Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel – Member; 4. One Medical, Assam Rifles of the rank of Commandant or Second-in-Command – Member; 5. Two Officers of, Assam Rifles not below the rank of Subedar level-7one belonging to the Scheduled	Not applicable.

Caste and one belonging to the Scheduled Tribe – Member;	

Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Brigadier Personnel, Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. Staff Officer -1(Administration) Assam Rifles of the rank of Lieutenant Colonel – Member; 4. One Medical Officer, Assam Rifles of the rank of Commandant or Second-in-Command – Member; 5. Two Officers of, Assam Rifles not below the rank of Subedar level-7 (Rs. 44900-142400) one belonging to the Scheduled Caste and one belonging to the Scheduled Tribe – Member;	

[F. No. A/Pers/RRs/Gp'B'/Pharm/2017]

R JOSES VASHUM, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 को, सिवाए उन बातों के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, में भेषजज्ञ के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, भेषजज्ञ (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
भेषजज्ञ	11* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200- 92300/- रुपये)। (प्रविष्टि श्रेणी में दो वर्ष की सेवा के पूर्ण होने पर, सभी पद धारको को अगली उच्चतर श्रेणी में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान की जाएगी।)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(6)	**(7)**	**(8)**
अठारह वर्ष और सत्ताईस वर्ष के मध्य (दोनों अन्तर्विष्ट) (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम,	**अनिवार्य:** (i) भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10+2 के पश्चात दो वर्ष और पांच सौ घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण) में डिप्लोमा ; अथवा भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भेषजी पाठ्यक्रम (विज्ञान विषय सहित 10+2 के पश्चात चार वर्ष का पाठ्यक्रम) में स्नातक ; अथवा भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मा डी (विज्ञान विषय सहित 10 + 2 के पश्चात छ: वर्ष का पाठ्यक्रम) ; और (ii) राज्य भेषजी परिषद से पंजीकरण।	लागू नहीं होता।

मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, , हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले एवं पांगी उपखंड, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के लिए विहित की गई है।	**टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के संदर्भ में सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। **टिप्पण 2:** अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के संदर्भ में यदि चयन प्रक्रिया किसी भी स्तर पर सक्षम प्रधिकारी अथवा कर्मचारी चयन आयोग का यह समाधान होता है कि उन समुदायों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने हेतु अपेक्षित अनुभव रखते सम्बंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं, तो कर्मचारी चयन आयोग अथवा सक्षम प्रधिकारी द्वारा लिखित रूप में कारण अभिलेखित करते हुए, अपने विवेकाधिकार से, अनुभव सम्बंधी अर्हताओं में शिथिलता प्रदान की जा सकेगी।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष। (परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा विहित कम-से-कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।)	सीधी भर्ती। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों के कारण पदधारी के एक वर्ष या अधिक बाहर रहने के कारण हुई रिक्तयों को केंद्रीय सरकार के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकेगीं। : (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु0) में पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष; 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 4. उप निदेशक (प्रशासन), लेडी	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं हैं।

	सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।		हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य।	

[फा. सं. A.11018/20/2024–एमएच.।।]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 5th August, 2025

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.–** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.–** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.–** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non - selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Pharmacist	11* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix. (on completion of two years of service in the entry grade, all the incumbents shall be granted non-functional to the next higher grade).	Not applicable	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Subdivision of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladhak, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep.

Educational and other qualification required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(7)	**(8)**	**(9)**
Essential: (i) Diploma in Pharmacy course (two years and five hundred hours practical training after 10+2 with science subject) from a recognised university or Institute approved by the Pharmacy Council of India; or Bachelor of Pharmacy Course (four years course after 10+2 with science subject) from a recognised university or Institute approved by the Pharmacy Council of India; or Pharma D course (six years course after 10+2 with science subject) from a recognised university or Institute approved by the Pharmacy Council of India; and (ii) Registration with State Pharmacy council. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable.	Two years. **Note :** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks for successful completion of probation as prescribed by the competent authority.

Note 2 : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority or the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage, the competent authority or the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Direct recruitment. **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department ; or (ii) with five years regular service in the posts in level 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix, or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience as prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Principal, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital New Delhi - Member; 3. Deputy Director (concerned) Directorate General of Health Services – Member; 4. Deputy Director (Administration), Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/20/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 130.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, जयेष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा जयेष्ठ पर्फ्युज़निस्ट (समूह 'ख" पद), भर्ती नियम, 2019 को, जहां तक उनका सम्बन्ध वरिष्ठ पर्फ्युज़निस्ट के पद से है, सिवाय उन बातो के अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वरिष्ठ रक्त परिसंचरण तंत्र संचालक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ रक्त परिसंचरण तंत्र संचालक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.– उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.– उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.– वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसे करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.– जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन याअचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ रक्त परिसंचरण तंत्र संचालक	02* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 – 142400 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति,भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में कनिष्ठ रक्त परिसंचरण तंत्र संचालक जिन्होंने इस क्षेत्र में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और सुसंगत क्षेत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित दो सप्ताह काअनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण 1:-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा शामिल है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमोंया विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पद पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: 1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रक्त परिसंचरण तंत्र संचालन प्रोधोगिकी में स्नातक उपाधि और किसी मान्यता प्राप्त भी सक्रिय हृदय संबंधी केंद्र से दो वर्ष का अनुभव, अथवा 2. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से रक्त परिसंचरण तंत्र संचालन प्रोधोगिकी में स्नातकोतर डिप्लोमा (दो वर्ष), या 3. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रक्त परिसंचरण तंत्र संचालन प्रोधोगिकी में स्नातकोतर उपाधि। **टिप्पण 1:-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, प्रशासन, डॉ0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल - सदस्य; 3. संबंधित उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:-** प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य किसी संगठन य़ा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण 3:-** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.11018/23/2022-एम एच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 2025

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Senior Technical Officer and Senior Perfusionist, Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2007, in so far as it relates to the post of 'Senior Perfusionist', except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Perfusionist in the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Senior Perfusionist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualification required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Senior Perfusionist.	02 * (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation (Including Short-Term Contract).	**Promotion :** Junior Perfusionist with five years regular service in the grade in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) and having successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant field as prescribed by the Central Government. **Note 1.-** Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Chairperson; 2. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital – Member; 3. Deputy Director (concerned) in Directorate General of Health Services – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions:- (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the post in level-6 (Rs. 35400-112400/-) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience namely:- 1. Bachelor's Degree in Perfusion Technology from a recognised University or institutions and two years experience in any recognised active cardiac Center, or 2. Post Graduate Diploma (Two years) in Perfusion Technology from recognised University of institutions, or 3. Master Degree in Perfusion Technology from a recognised University or Institutions. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** Period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately		

			preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A.11018/23/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 131.—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और नर्सिंग कॉलेज, नई दिल्ली (श्रेणी III पद) भर्ती नियम, 1971 को, जहां तक उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक रोकड़पाल के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने का लोप किया गया है, एतद्द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राजकुमारी कॉलेज, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक (समूह ग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमण करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग में, अवर श्रेणी लिपिक ग्रुप 'ग' पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निर्रहता .- कोई भी व्यक्ति, -

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका पति या पत्नी जीवित है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश द्वारा, उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए तथा कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स या वेतनमान में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक।	07 (2025) *कार्यभार पर आधारित.	सामान्य केंद्रीय सिविल सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 (रु.19900-63200)।	गैर-चयन.	18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)। **नोट :** आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित तिथि होगी ।

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं।	क्या पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में सीधी भर्ती के लिए आयु और शैक्षिक योगयतांए लागू होंगी ।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या समतुल्य यौग्यता (ख) (i) मैनुअल टाइपराइटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति; या (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में न्यूनतम टाइपिंग गति 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट। (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 कुंजी दबावों पर 10500 केडीपीएच/9000 केएचपीएच के अनुरूप है)। **टिप्पणी :** शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा योग्य हैं तथा जिन्हें विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों से संबद्ध	हां, कॉलम (10) में दर्शाई गई सीमा के अनुसार	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	(क) 85% कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; (ख) 10% रिक्तियां वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में समूह ग के कर्मचारियों में से भरी जाएंगी, जिनके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता है और जिन्होंने विभागीय योग्यता परीक्षा के आधार पर ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; और (ग) 5% रिक्तियां वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ग्रुप ग के उन कर्मचारियों से भरी जाएंगी, जिन्होंने नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पणी 1 :** विभागीय अर्हक परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मामले में 50 वर्ष) होगी। **टिप्पणी 2 :** यदि इस संबंध में उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक संख्या में ऐसे कर्मचारी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं,

मेडिकल बोर्ड (या जहां ऐसा कोई बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन द्वारा) द्वारा टाइप करने में असमर्थ प्रमाणित किया गया है, उन्हें टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जा सकती है।			तो कर्मचारियों की ऐसी अतिरिक्त संख्या पर आगामी वर्षों में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा, ताकि पूर्व की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों पर बाद की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों से पहले विचार किया जाए।

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है?**	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती करने में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना चाहिए**
11	12	13
जैसा कि कॉलम (10) में दर्शाया गया है।	समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति एवं स्थायीकरण पर विचार करने के लिए): 1. नर्सिंग सलाहकार, महानिदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवाएं - अध्यक्ष, 2. प्रधानाचार्य, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग - सदस्य, 3. उप निदेशक- राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग - सदस्य; 4.प्रशासनिक अधिकारी , राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग -सदस्य।	लागू नहीं.

[फा. सं. ए.11011/10/2024-एन/डीजीएचएस]

अमित कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 5th August, 2025

G.S.R. 131.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the College of Nursing, New Delhi (Class III posts) Recruitment Rules, 1971 in so far as they relate to the post of Lower Division Clerk including Cashier, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Lower Division Clerk in the Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing, Lower Division Clerk, Group ‘C’ post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, and scale of pay.–** The number of said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc**.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.– No person, –

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Staff Selection Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts**	**Classification**	**Level in the pay matrix or pay scale**	**Whether selection or non-selection post**	**Age- limit for direct recruits**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lower Division Clerk.	07 (2025) *Dependent on the workload.	General Central Civil Services, Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix.	Non-Selection.	Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
(a) 12th Class or equivalent qualification from a recognised Board or University; and (b) (i) minimum typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual type writer; Or (ii) minimum typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. (35 words per minute. and 30 words per minutes correspond to 10500 KDPH/9000 KHPH on an average of 5 key depressions for each word). **Note :** Physically handicapped persons who are otherwise qualified to hold clerical post and who are certified as being unable	Yes, to the extent indicated in column (10).	Two years for direct recruits.	(a) 85% by direct recruitment through Staff Selection Commission; (b) 10% of the vacancies shall be filled from amongst the Group C Staff in the Level 1 of the pay matrix and who possess 12thClass pass or equivalent qualification and have rendered three years of regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination; and (c) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group C employees who have three years of regular service in level 1 of the pay matrix rendered after appointment thereto. **Note 1 :** The maximum age limit for the departmental qualifying examination shall be 45 years (50

to type by the Medical Board attached to Special Employment Exchanges for the Handicapped (or by a Civil Surgeon where there is no such Board) may be exempted from passing the typing test.			years of in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes). **Note 2 :** If more number of such employees than the number of vacancies available in this regard qualifies the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
11	12	13
As stated in column (10).	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion and confirmation): 1. Nursing Advisor, Director General of the Central Government Health Services - Chairperson, 2. Principal, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing - Member, 3. Deputy Director- Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing - Member; 4.AdministrativeOfficer, Rajkumari Amrit Kaur College of Nursing –Member.	Not applicable.

[F. No. A.11011/10/2024-N/DGHS]

AMIT KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 132.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के विकिरण चिकित्सा विभाग में वरिष्ट विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ट विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2025 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.– वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.– इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वरिष्ट विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्।	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7- (44900 - 142400/- रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(9)	(10)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है)।

प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में ऐसे विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् जिन्होंने स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग या मंत्रालय द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **<u>प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) :</u>** (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या सांविधिक संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400 रुपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: आवश्यक (क): किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड ट्रेनिंग और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम छः वर्ष का अनुभव; या (ख) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में तीन वर्ष का बी.एससी डिग्री कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिग्री के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव; या (ग) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् का दो वर्ष का पोस्ट ग्राडजुएयट डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और डिप्लोमा के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - अध्यक्ष; 2. लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के विकिरण चिकित्सा विभाग के प्रमुख - सदस्य; 3. उप निदेशक (संबंधित) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य; 4. उप निदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

तीन वर्ष का अनुभव। (घ) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित न्यूनतम पाठ्यक्रम सामग्री पर आधारित विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् में पोस्ट ग्रेजुएयट डिग्री उत्तीर्ण करने के साथ विकिरण चिकित्सा में इनफील्ड प्रशिक्षण और पोस्ट ग्रेजुएयट डिग्री के बाद सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल - सदस्य।	

[फा. सं. ए.11018/05/2022-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 2025

G.S.R. 132.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Radiotherapy Technologist in the Radiotherapy Department of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Senior Radiotherapy Technologist (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay-matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Senior Radiotherapy Technologist	01* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.**
(10)	**(11)**
By promotion failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Radiotherapy Technologist in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital with five years of regular service in Level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix and having successfully completed training of at least two weeks as prescribed by the Department or Ministry. **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half or such qualifying service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): (i) Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions: (A) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) officials in level -06 of the pay matrix (Rs. 35400-112400) with five years of regular service in the parent cadre or department. and (B) possessing the following educational qualifications and experience: **Essential :** (a) two years' radiation therapy technologist diploma course based on the minimum course content prescribed by the competent authority (Atomic Energy Regulatory Board) passed from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum six years post diploma experience in an institute recognised by the government; Or (b) three years' Bachelor of Science in radiation therapy technology degree course, based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a

	recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum five years of post-degree experience in an institute recognised by the government; or (c) two years post graduate diploma course in radiation therapy technology based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post-diploma experience in an institute recognised by the government; or (d) Masters of Science in radiation therapy technology, based on the minimum course content prescribed by the competent authority from a recognised institution with infield training in radiotherapy and minimum three years of post Masters of Science experience in a recognised institute. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age- limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date or receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'B' Departmental Promotional committee (for considering promotion) consisting of: Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital – Chairperson; 2. Head of the Radiotherapy Department, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Member; 3. Deputy Director (Concerned) Directorate General of Health Services - Member; 4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital - Member.	Consultation with Union Public Services Commission is not necessary.

[F. No. A.11018/05/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 133.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में उप मुख्य भौतिक चिकित्सक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप मुख्य भौतिक चिकित्सक	03* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा; यदि विफल रही, तो प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक जिसने वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 (रुपये 56100-177500) की श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हों और जिसने कर्तव्यों और दायित्वों के सुसंगत क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा यथाविहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) :** केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अथवा स्वायत्त निकाय अथवा संविधिक संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारक किए हुए हैं, अथवा (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्षों की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक चिकित्सा में स्नातक उपाधि; और (ii) न्यूनतम पचास शैया वाले सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त अस्पताल में नैदानिक पद पर पांच वर्षो का प्रायोगिक अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि शामिल है , साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिल कर बनेगी: 1. अपर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; 2. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल -सदस्य; 3. निदेशक (प्रशासन व सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/02/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 2025

G.S.R. 133.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Deputy Chief Physiotherapist in the Safdarjung Hospital, New Delhi in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Deputy Chief Physiotherapist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.– The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of posts.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or Non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Deputy Chief Physiotherapist.	03* (2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Senior Physiotherapist of Safdarjung Hospital in level -10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) with five years of regular service in the grade and having successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant filed

		of duties and responsibilities as prescribed by the Government of India. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short-term contract) :** Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutions, - (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level – 10 in pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor degree in Physiotherapy from a recognised University or recognised institute; and (ii) with five years' practical experience of holding clinical post in at least fifty bedded Government or recognised hospital. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for appointment by promotion. **Note 2 :** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3 :** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for consideration promotion) consisting of :- 1. Additional Director General of Health Services, Directorate General of Health Services -Chairperson; 2. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital -Member; 3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/02/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 134.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल में मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.–** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.–** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.–** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.–** जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन या अचयन पद।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट।	(1)* 2025 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रुपये)।	चयन	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है)।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(11)	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में ऐसे उप मुख्य फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और सुसंगत क्षेत्र में केंद्रीय सरकार द्वारा विहित दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा शामिल है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जो मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये) में पाँच वर्षों की नियमित सेवा की हो, और; (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी क्षेत्र में भौतिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर की डिग्री (ii) के साथ कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में क्लीनिकल पद को धारण करने में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र	समूह क 'विभागीय पदोन्नति समिति निम्नलिखित सम्मलित होंगे: 1. अध्यक्ष या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य -अध्यक्ष; 2. महानिदेशक या अतिरिक्त महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. उप महानिदेशक (योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य; 4. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल – सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य-पद है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए.12018/24/2024-एमएच-।।]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 7th August, 2025

G.S.R. 134.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Chief Physiotherapist, in Safdarjung Hospital, New Delhi, under the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Chief Physiotherapist, (Group 'A' Post), Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.– The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether Selection or non selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Chief Physiotherapist	1* (2025) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Level – 12 in the pay matrix (Rs. 78800-209200).	Selection.

Age-limit for Direct Recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.**
(6)	**(7)**	**(8)**
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made**
(9)	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Promotion, failing which by deputation (including short-term contract).	**Promotion :** Deputy Chief Physiotherapist with five years' regular service in the grade in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) and having successfully completed mandatory training of two weeks in the relevant filed as prescribed by the Central Government. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract) :** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700) in the parent cadre or department, and; (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Masters Degree in Physiotherapy in any branch from a recognised university or institute; (ii) three years' practical experience of holding clinical post in at least fifty bedded hospital. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Services Commission to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental promotion Committee (for considering promotion): 1. Chairman or Member of Union Public Service Commission - Chairman; 2. Director General of Health Services or Additional Director General of Health Services, Directorate General of Health Services - Member; 3. Deputy Director General (Planning), Directorate General of Health Services - Member; 4. Head of Department (concerned), Safdarjung Hospital - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.12018/24/2024-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

(राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 135.—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), धारा 70, उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) घोषणा करता है कि मिहिर, हाई पावर कंप्यूटिंग सिस्टम (एचपीसी ;जो उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संरक्षित सिस्टम है) इससे संबंधित सूचना राष्ट्रीय मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान केंद्र (रा. म. अ. मौ. पू. के.) पर निर्भर करती है तथा निम्नलिखित कर्मियों को संरक्षित सिस्टम तक पहुंचने के लिए अधिकृत करती है, नामतः

क) राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (रा. म. अ. मौ. पू. के.) का कोई भी नामित कर्मचारी संरक्षित सिस्टम तक पहुंचने के लिए प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप से अधिकृत है;

ख) अनुबंध प्रबंधित सेवा प्रदाता या तीसरे पक्ष के विक्रेता का कोई भी टीम सदस्य जिसे आवश्यकता-आधारित पहुंच के लिए प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया है;

ग) मामले-दर-मामले के आधार पर प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोई भी सलाहकार, नियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक व हितधारक; और

घ) कोई भी अतिथि छात्र और शोध विद्यार्थी जो मामले-दर-मामले आधार पर प्रमुख, रा. म. अ. मौ. पू. के. द्वारा लिखित रूप में अधिकृत हैं।

2. अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी।

[फा. सं. B-12020/1/2023-Estt (ई-फाइल -428)]

वी.एस. प्रसाद, प्रमुख

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(National Centre for Medium Range Weather Forecasting)

New Delhi, the 12th August, 2025

G.S.R. 135.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Ministry of Earth Sciences (MoES) hereby declares the MIHIR, High Power Computing System (HPC) system and it's associated information infrastructure dependencies of the

National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF), to be Protected Systems for the purpose of said Act and authorizes the following personnel to access the protected systems, namely :-

a) any designated employee of the National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) authorized in writing by the Head, NCMRWF to access the protected system;

b) any team member of a contractual managed service provider or a third-party vendor who have been authorized in writing by the Head, NCMRWF for need- based access;

c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorized in writing by the Head, NCMRWF on a case-to-case basis; and

d) any visiting students and Research scholars who are authorized in writing by the Head, NCMRWF on a case-to-case basis.

2. The Notification shall come into force on the date of its publication in official Gazette.

[F. No. B-12020/1/2023-Estt (e-file-428)]

V.S. PRASAD, Head

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 136.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति नीति आयोग में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता.-** वह व्यक्ति .-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स स्तर।	**चयन अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(4)	(5)	(6)
स्तर-11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, अथवा

(iii) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो, अथवा

(iv) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो, अथवा

(v) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में नौ वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

अ. आवश्यक

(अ) अर्हताएं: **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।**

(आ) अनुभव: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में पांच वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

आ. वांछनीय

(अ) अर्हताएं: **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।**

(आ) अनुभव: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में पुस्तकालय की गतिविधियों के **कंप्यूटीकरण में एक वर्ष का अनुभव।**

टिप्पण1. - वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में कोई विभागीय सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, जिसने नियुक्ति के पश्चात् उक्त श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से **पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में न्यूनतम स्नातक उपाधि धारक हो, एवं जिसने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अंदरूनी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो, वह बाह्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ विचारणीय होगा,** परंतु यदि उक्त विभागीय अधिकारी का चयन पद पर नियुक्ति हेतु किया जाता है, **तो इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो,** यह पद एक निर्धारित अवधि हेतु **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पुन: उक्त विभागीय अधिकारी को इस पद हेतु विचारित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।**

टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	(13)
पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए, विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें शामिल हैं:- 1. संयुक्त सचिव अथवा सलाहकार जो प्रशासन के प्रभारी हों – अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. निदेशक (पुस्तकालय) – सदस्य; 3. उप सचिव अथवा निदेशक जो प्रशासन के प्रभारी हों– सदस्य |	

[फा. सं. A-11013/2/2022- प्रशा.IV]

डी.पी. सिंह, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 11th August, 2025

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the NITI Aayog, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the NITI Aayog, (Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Library and Information Officer.	1*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group A.	Level-11 (Rs.67700-208700/-)	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Deputation (including short-term contract) or promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Composite method [Deputation (including short-term contract) or promotion]: Officers under the Central Government or State Government or Union territories Administration or Statutory Organisation or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or recognised research Institution, – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs. 56100-177500) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs. 53100-167800) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (v) with nine years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential:** (A) **Qualifications:** Master Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute. (B) **Experience:** Five years' professional experience in a library under the Central Government or State Government or Union	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1.Joint Secretary or Adviser in charge of the Administration – Chairman; 2.Director (Library) – Member; 3.Deputy Secretary or Director in charge of the Administration – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

territory Administration or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. **B. Desirable:** (A) **Qualifications:** Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. (B) **Experience:** One year experience of computerising library activities in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. **Note 1.-** The departmental Assistant Library and Information Officer in level-7 (Rs. 44,900 – 1,42,400/-) in the pay matrix with nine years' regular service rendered after appointment thereto in the grade possessing at least Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute and successfully completed in-house training of two to four weeks in the field of Library and Library Science will also be considered along with outsiders, and if the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion, otherwise, the post is to be filled by deputation (including short-term contract) for a prescribed period at the end of which the departmental officer will again be afforded the opportunity to be considered for appointment to the post. **Note 2.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-11013/2/2022- Admin IV]

D.P. SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.02 15:20:48 +05'30'